न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 47/2015

RCMS No. 2015/00496

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
वागसिंह उर्फ बाघसिंह पुत्र चंदनसिंह जाति राजपूत निवासी सादडा तहसील बाली		1. उत्तमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासीगण सादडा 2. ग्राम पंचायत लाटाडा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/5/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 542/2002 संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2751 दिनांक 18.09.2002 के विरूद्व पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्व है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि ग्राम सादडा के खसरा नम्बर 636 राज्य सरकार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत को उसी भूमि का विक्रय विलेख जारी करने के कानूनी अधिकार है, जो भूमि आबादी भूमि दर्ज हो। हस्तगत प्रकरण में जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि सरकारी खाते में दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड में बारानी दोयम के रूप में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 ने तत्कालीन सरपंच से मेल मिलावट कर पंचायत राज नियमों के विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा तैयार करने हेतु फर्जी तरीके से मिसल क्रमांक व प्रस्ताव संख्या दर्ज कर जैर निगरानी पट्टा फर्जी तरीके से तैयार किया गया। इसी कारण से जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज अधीनस्थ ग्राम पंचायत में नही है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के सम्बन्ध में किसी भी प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 632 रकबा 0.59 हैक्टेयर किस्म

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गै0मु0 आबादी में आया हुआ स्थित है, जिस पर अप्रार्थीगण का पुराना पैतृक रहवासीय मकान बना हुआ स्थित है। उक्त समस्त तथ्य तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट से साबित होतें है। खसरा नम्बर 632 गै0मु0 आबादी की भूमि है, जिस पर अप्रार्थीगण का पुराना पैतृक 40 वर्षो से कब्जा होने के आधार पर तथा पैतृक रहवासीय मकान निर्मित होने के आधार पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में नियम 157 के तहत विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया। इस कारण उक्त निगरानी खारिज करने योग्य है। चूंकि जैर निगरानी आज्ञा दिनांक 20.06.2002 को पारित की गई है तथा निगरानी वर्ष 2015 में दायर करवाई गई है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र प्रसतुत किया है एवं देय शुल्क जमा करवाया है, उसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा 3 वार्ड पंचो को नियुक्त कर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तलब की गई। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थीगण का पुराना पैतृक रहवासीय मकान होने के आधार पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण के पक्ष में अंतिम रूप से पट्टा विलेख जारी करने का विनिश्चय कर नियम 148 के तहत 1 माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया था, लेकिन कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण गवाहों के बयानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थीगण का पैतृक पुराना रहवास होने से अप्रार्थीगण के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया अर्थात अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज नियम के तहत पूरी प्रक्रिया की पालना करते हुए नियम 157 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का जेर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल व पट्टा पत्रावली रजिस्टर आदि दस्तावेज को सुरक्षित करने का दायित्व था, जो अधीनस्थ ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का दण्ड अप्रार्थीगण को नहीं दिया जा सकता है तथा न ही इस आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में की गई कार्यवाही दूषित हो जाती है। कानूनन जैर निगरानी पट्टे के मिशल के अभाव में पट्टे की वैधता न्यायालय द्वारा नहीं देखी जा सकती है। इस कारण से भी निगरानी खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टा उप पंजीयक बाली से पंजीबद्ध है, जिसे निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। जैर निगरानी पट्टा गै0मु0 आबादी भूमि पर बनाया गया है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का मकान निर्मित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 उसमें अपने परिवार सहित निवास करते है एवं विद्युत सम्बन्ध भी ले रखा है। उक्त समस्त तथ्य मौका कमिश्नर रिपोर्ट से साबित होतें है। इन समस्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत, लाटाडा द्वारा ग्राम पंचायत, लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 542/2002 संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2751 दिनांक 18.09.2002 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत लाटाडा ने अपने पत्र दिनांक 25.05.17 के जरिये अवगत कराया कि प्रकरण में मूल पट्टा बुक ही उपलब्ध है। इस कारण प्रथम दृष्टया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा नियम 157 ख के तहत जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह 738.27 वर्गगज का जारी किया गया है, जबकि नियम 157 के तहत 300 गज

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तक की भूमि का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। इस प्रकार पंचायत नियम 157 के तहत इतने क्षैत्रफल की भूमि का पट्टा जारी करने हेतु सक्षम नहीं है। इस हेतु निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे वास्तविक तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जांच के पश्चात कानून के मुताबिक नये सिरे से कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 542/2002 संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2751 दिनांक 18.09.2002 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत लाटाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली